राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 26 मार्च, 1984

क्रमांक **297-ज(II)-84/8715**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री राज सिंह, पुत्र श्री हीरा सिंह, गांव सेरिया, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को खरीफ, 1974 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **252-ज(II)-84/8719**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, श्री हाकम सिंह, पुत्र श्री शेर सिंह, गांव राजौन्द, तहसील वा जिला जीन्द, को रबी, 1975 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 27 मार्च, 1984

क्रमांक **244-ज-(I)-84/8912**.—श्री जोरा सिंह, पुत्र श्री याद राम, गांव लाखूवास, तहसील व जिला गुड़गांवा, की दिनांक 8 मई, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा, के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए), (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री जोरा सिंह को मुब्लिग 350 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 722-ज-II-76/13155, दिनांक 4 मई, 1976, तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती दरयाई के नाम खरीफ, 1983 से 350 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **334-ज-(II)-84/9002**.—श्री हजारी सिंह, पुत्र श्री देव सिंह, गांव सतनाली, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की दिनांक 22 मार्च, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हजारी सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1798-र-4-67/2530, दिनांक 27 जुलाई, 1967, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती तोफा देवी के नाम खरीफ, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 28 मार्च, 1984

क्रमांक **333-ज-II-84/9130**.—श्री नेकी राम, पुत्र श्री हरफूल सिंह गांव गुढ़ाण तहसील व जिला रोहतक की दिनांक 8 जनवरी, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राजपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नेकी राम की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 544-ज-II-81/24069, दिनांक 14 जुलाई, 1981 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती मारिया के नाम खरीफ, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।